

क्र. 216
प्र. 87
13-03-19

अभ्युक्ति ६६ प्र. २२५

अभ्युक्ति ६६ प्र. २२५

श्रीमती अरुणा देवी, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-622 (प्र-38) से उद्धृत

आश्वासन संख्या-106/19 का उत्तर प्रतिवेदन

आश्वासन संख्या-

आश्वासन	अद्यतन कार्यान्वयन स्थिति
सकरी सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य (फेज- I) के अधीन दायों एवं बायों मुख्य नहरों के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य तथा अन्य संबंधित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।	सकरी सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तकनीकी जाँच के क्रम में है। निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-11/वि0स0-05-02/2019

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक-228 दिनांक-01.02.2019 के प्रसंग में तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(मो0 रसूल मियाँ)

सरकर के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-11/वि0स0-05-02/2019

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(मो0 रसूल मियाँ)

सरकर के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-11/वि0स0-05-02/2019

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-03, अंचल जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(मो0 रसूल मियाँ)

सरकर के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-11/वि0स0-05-02/2019 3363 /पटना, दिनांक- 02-09-19

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/19

(मो0 रसूल मियाँ)

सरकर के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।

02/09/19

4